

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय गुमला।

अनुसूची - 14 - फारम सं० - 563

आदेश - फलक
(देखें अभिलेख हरसक, 1942 का नियम - 129)

सरकार
बनाम
पुरुषोत्तम भगत वर्ग०

आदेश फलक तारीख.....से.....तक। जिला - गुमला

वाद सं० :-40/2020-21

वाद का प्रकार :- अधिहरण (Confiscation)

आदेश


अभिलेख उपस्थापित। पुलिस अधीक्षक, गुमला के पत्रांक-2671/अप० शा० दिनांक-02.11.2020 द्वारा रायडीह थाना काण्ड सं०-60/2020 दिनांक-05.10.2020 धारा-414/34 भा०द०वि० 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली-2004 एवं 7/13 झारखण्ड खनिज (अवैद्य खनन परिवहन एवं भण्डारण) नियमावली- 2017 के आलोक में अवैद्य रूप से बालू लोड करने के आरोप में जप्त महिन्द्र ट्रैक्टर चेचिस सं०-MBNABAEXKJBO-0557 इंजन नं०-NJB2EAJ0175 मॉडल नं०-B275DITUMKMDLX, मेसी ट्रैक्टर चेचिस सं०-MES665A1BL2287125 इंजन नं०-53371B36813 मॉडल नं०-MF1035DI एवं शक्तिमान ट्रैक्टर सं०-CG14MD-7231 को राजसात की कार्रवाई हेतु प्रस्ताव प्राप्त है।


उपरोक्त अधिहरण वाद सं०-40/2020-21 व्यवहार न्यायालय में लंबित होने के कारण संबंधित न्यायालय में वाद का निष्पादन पूर्ण होने तक वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

पुलिस अधीक्षक गुमला/सहायक लोक अभियोजक, गुमला को निदेश दिया जाता है कि व्यवहार न्यायालय में वाद का निष्पादन होने की सूचना अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपलब्ध करायी जाय, ताकि संबंधित न्यायालय द्वारा पारित आदेश के उपरान्त उक्त वाद पर पुनः सुनवाई हेतु आवश्यक कार्य की जा सके।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक गुमला/सहायक लोक अभियोजक, गुमला को भेजी जाय।

लेखापित एवं संशोधित


20.04.22
उपायुक्त,
गुमला


20.04.22
उपायुक्त,
गुमला